

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्रं. / 2016-17/अ-20(3)/नजूल

ग्राम पाडोदा तहसील कोलारस में लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण से वन भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण उसके ऐक्ज में प्रतिपूरक भूमि वनविभाग को आवंटित करने बाबत।

// आदेश //

(आज दिनांक 29/7/17 को पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, राजघाट बाई नहर वितरण संभाग खनियाधाना के पृष्ठांकन क्रमांक 759/ कार्य/ लो.ओर.परि./ 2017 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा शिवपुरी जिले में लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना शिवपुरी से जिला शिवपुरी एवं दतिया की 90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु योजना तैयार की गई जिसके डूब क्षेत्र में 968.24 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है शिवपुरी व दतिया जिले में सिंचाई सुविधा की कमी है। अतः क्षेत्र का जीवनस्तर उठाने हेतु भारत सरकार एवं वनपर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.03.17 को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें वनभूमि 968.24 हेक्टेयर के बराबर प्रतिपूरक राजस्व भूमि के डायवर्सन एवं स्थानांतरण की शर्त के साथ योजना के क्रियान्वयन हेतु शिवपुरी जिले में उपलब्ध राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने की मांग की गई है।

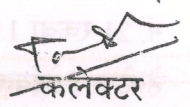
तहसीलदार कोलारस के प्रकरण क्रमांक 138/16-17/बी-121 के प्रतिवेदन दिनांक 03.07.17 में उल्लेख किया गया है ग्राम पाडोदा के सर्वे नं. 13 रकवा 13.87 हेक्टेयर (नोईयत ऊसर), सर्वे नं. 19 रकवा 16.19 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 21 रकवा 119.53 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 27 रकवा 10.42 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 29 रकवा 16.67 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 32 रकवा 14.88 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 34 मिन 5 रकवा 51.05 हेक्टेयर (नोईयत पठार) सर्वे नं. 91 रकवा 54.26 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 172 रकवा 17.76 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 493 मिन 1 रकवा 30.29 हेक्टेयर (नोईयत गैरमुमकिन), सर्वे नं. 495 रकवा 11.16 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 728 रकवा 123.96 हेक्टेयर (नोईयत पठार) में से 104.11 हेक्टेयर, सर्वे नं. 946 रकवा 14.12 हेक्टेयर (नोईयत पठार) कुल किता 13 कुल रकवा 474.31 हेक्टेयरभूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में भूमि जाने से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रतिपूरक भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में इस्तहार जारी किया गया एवं प्रस्ताव ठहराव लिया गया। अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा खसरा, नक्शा की प्रति संलग्न की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के प्रतिवेदन दिनांक 14.07.17 में उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार कोलारस के प्रतिवेदन दिनांक 03.07.17 से सहमत होते हुए ग्राम पाडोदा के सर्वे नं. 13 रकवा 13.87 हेक्टेयर (नोईयत ऊसर), सर्वे नं. 19 रकवा 16.19 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 21 रकवा 119.53 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 27 रकवा 10.42 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 29 रकवा 16.67 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 32 रकवा 14.88 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 34 मिन 5 रकवा 51.05 हेक्टेयर (नोईयत पठार) सर्वे नं. 91 रकवा 54.26 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 172 रकवा 17.76 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 493 मिन 1 रकवा 30.29 हेक्टेयर (नोईयत गैरमुमकिन), सर्वे नं. 495 रकवा 11.16 हेक्टेयर (नोईयत पठार), सर्वे नं. 728 रकवा 123.96 हेक्टेयर (नोईयत पठार) में से 104.11 हेक्टेयर, सर्वे नं. 946 रकवा 14.12 हेक्टेयर (नोईयत पठार) कुल किता 13 कुल रकवा 474.31 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में भूमि जाने से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रतिपूरक भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस एवं तहसीलदार कोलारस के प्रतिवेदनों के आधार पर शासकीय भूमि ग्राम पाडोदा के सर्वे नं. 13 रकवा 13.87 हेक्टेयर (नोईयत ऊसर) , सर्वे नं. 19 रकवा 16.19 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 21 रकवा 119.53 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 27 रकवा 10.42 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 29 रकवा 16.67 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 32 रकवा 14.88 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 34 मिन 5 रकवा 51.05 हेक्टेयर (नोईयत पठार) सर्वे नं. 91 रकवा 54.26 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 172 रकवा 17.76 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 493 मिन 1 रकवा 30.29 हेक्टेयर (नोईयत गैरमुमकिन) , सर्वे नं. 495 रकवा 11.16 हेक्टेयर (नोईयत पठार) , सर्वे नं. 728 रकवा 123.96 हेक्टेयर (नोईयत पठार) में से 104.11 हेक्टेयर , सर्वे नं. 946 रकवा 14.12 हेक्टेयर (नोईयत पठार) कुल किता 13 कुल रकवा 474.31 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में भूमि जाने से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कण्डिका 36 के तहत निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क भूमि आवंटित की जाती है :-

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे, किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अक्श नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कोलारस आवंटित भूमि का खसरे में अमल करायें एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। वाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकार्ड किया जावे।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक 29/07/2017

पृ.क्रमांक/ /16-17/ अ-20(3)/नजूल/2017/ प्रतििलिपि -

1729

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री राजघाट बाई नहर वितरण संभाग खनियाधाना जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. तहसीलदार कोलारस की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.